**विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 08 नवंबर, 2013 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 60वीं बैठक का कार्यवृत्त**

---

**अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 08 नवंबर, 2013 को पूर्वाह्न 10.00 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में श्री एस आर राव, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 60वीं बैठक हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।**

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 574 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से इस समय 391 एसईजेड अधिसूचित हो गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 08 नवंबर, 2013 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,81,133.91 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 11,56,677 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, एसईजेड से 4,76,159 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2011-12 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 31 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष में 30 सितंबर, 2013 तक 2,46,646 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है जो वित्त वर्ष 2011-12 की समतुल्य अवधि में निर्यात की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है।

**मद संख्या 60.1: विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव**

**(i) 7.4909 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम मुरीनगुर एवं टेक्कुमरी, तालुक मुकुंदपुरम, कोराट्टी पंचायत, त्रिसूर जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स केरल स्टेट आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) का प्रस्ताव**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। केरल सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 14 जून, 2013 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 7.4909 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम मुरीनगुर एवं टेक्कुमरी, तालुक मुकुंदपुरम, कोराट्टी पंचायत, त्रिसूर जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स केरल स्टेट आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(ii) ग्राम वघोली एवं भवाडी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 13.01 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ट्रांसेनडेंट डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव**

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव को वापस लेने के लिए अनुमोदन बोर्ड से मंजूरी प्रदान करने की मांग की। तद्नुसार प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।

**मद संख्या 60.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के प्रस्तावों के साथ पट्टा विलेख / प्रारूप विलेख संलग्न होना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ विकासक एवं प्रस्तावित सह विकासक के बीच वित्तीय लेनदेन / व्यवस्था का ब्यौरा होना चाहिए। प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड का निर्णय इस प्रकार है :

**08 नवंबर, 2013 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 60वीं बैठक का कार्यवृत्त**

**(i) ग्राम मधुरवाडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स पलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 0.376 हेक्टेयर (0.93 एकड़) के क्षेत्रफल में पूर्ण आईटी इनक्यूबेशन सेंटर एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स पलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

**(ii) कोझीकोड जिला, केरल में मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स साइबर पार्क, कोझीकोड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में सेवाओं से संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं जैसे कि सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) आदि के लिए 0.70 एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्रफल के विकास के लिए उसके स्टेटस का दायरा बढ़ाने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक मैसर्स साइबर पार्क, कोझीकोड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की, जिससे सह विकासक द्वारा विकास के लिए कुल क्षेत्रफल 5 एकड़ हो जाएगा।

**(iii) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में विशिष्ट अधिकृत प्रचालनों के साथ सह विकासक के लिए मैसर्स जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेड का अनुरोध**

बोर्ड ने मैसर्स जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेड के प्रतिनिधियों को सुना तथा नोट किया कि परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। कंपनी के प्रस्तावित प्रचालनों के संबंध में कुछ

अन्य ब्यौरे मांगे गए जिन्हें प्रदान करने के लिए आवेदक सहमत हो गया। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने निर्णय लिया कि फाइल पर जांच के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा मामले का निर्धारण किया जाए।

**मद संख्या 60.3 : एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुरोध**

**(ii) गंभीरम गांव, आनंदपुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एपीआईआईसी लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने एसईजेड के 20.76 हेक्टेयर के मौजूदा क्षेत्र से 10.66 हेक्टेयर घटाने के लिए मैसर्स एपीआईआईसी लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल 10.109 हेक्टेयर रह जाएगा। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ एसईजेड की सन्निकटता बरकरार है, विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, विमुक्त क्षेत्र में कोई यूनिट नहीं है या उनको डिबांड किया गया है और राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है तथा यह वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या डी.12/45/2009-एसईजेड दिनांक 13 सितंबर, 2013 के माध्यम से सूचित शर्तों के अधीन है।

**मद संख्या 60.4 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

**(i) 8वें वर्ष के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पोस्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध**

बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने एक साल की अगली अवधि के लिए अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 24 अक्टूबर, 2014 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(ii) 5वें और छठें वर्ष के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विक्रम लॉजिस्टिक मैरीटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध**

बोर्ड ने नोट किया कि विचार विमर्श के बाद एक साल के लिए अर्थात 24 अक्टूबर, 2014 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई गई जिसके दौरान विकासक को एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करनी थी।

**मद संख्या 60.5 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

14 सितंबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए **5**वें साल के बाद तथा **6** माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।

**(i) त्रिक्काकारा गांव उत्तर, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 31 अक्टूबर, 2013 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स सुथरलैंड ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 31 अक्टूबर, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(ii) संथाल जंक्शन, तालुक सानंद, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 नवंबर, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मायरॉन रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 6 माह के लिए अर्थात 12 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(iii) हासन, कर्नाटक में चिकित्सा अनुप्रयोग के लिए उपकरणों, डिवाइसों एवं उपभोज्य वस्तुओं के विनिर्माण लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 सितंबर, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 23 सितंबर, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(iv) ग्राम चीमेनी, कासरगोड जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 सितंबर, 2013 के**

**बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल स्टेट टेक्नोलॉजी इंफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 18 सितंबर, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(v) ग्राम एरामम, कन्नूर जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 सितंबर, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल स्टेट इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 18 सितंबर, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(vi) कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 दिसंबर, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 13 दिसंबर, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(vii) एमआईडीसी, फाइव स्टार औद्योगिक क्षेत्र, शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंसपिरा इनफ्रा (औरंगाबाद) लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 08 नवंबर, 2013 से 6 माह तक अर्थात 08 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(viii) प्लाट नंबर सी-22, एमआईडीसी, फाइव स्टार औद्योगिक क्षेत्र, शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंसपिरा इनफ्रा (औरंगाबाद) लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 08 नवंबर, 2013 से 6 माह तक अर्थात 08 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(ix) करकापटला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14**

**अगस्त, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ इंफ्रा लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 08 नवंबर, 2013 से 6 माह तक अर्थात 08 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(x) आईटी प्लॉट (आईआईएफ/3), एरिया 2, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 दिसंबर, 2013 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 13 दिसंबर, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xi) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-ए के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2013 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 24 अक्टूबर, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 24 अक्टूबर, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xiii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-सी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 नवंबर, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 21 नवंबर, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xiv) वड़ापलांजी, मदुरै, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 08 नवंबर, 2013 से 6 माह तक अर्थात 08 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xv) इलैंधैकुलम, मदुरै, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 08 नवंबर, 2013 से 6 माह तक अर्थात 08 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xvi) होसुर, विश्वनाथपुरम, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 08 नवंबर, 2013 से 6 माह तक अर्थात 08 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xvii) जागीरम्मापलयम, सलेम, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 08 नवंबर, 2013 से 6 माह तक अर्थात 08 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xviii) गंगैकोंडन गांव, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (एलकॉट) का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 08 नवंबर, 2013 से 6 माह तक अर्थात 08 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xix) प्लाट नंबर टीजेड 4, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 08 नवंबर, 2013 से 6 माह के लिए अर्थात 08 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xx) नारीवली गांव, तालुक एवं जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 मई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स लोधा ड्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 2 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xxi) द्रोणगिरी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 29 जुलाई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xxii) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 25 जुलाई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xxiii) कालंबोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अर्थात 25 जुलाई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xxiv) मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2013 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स ओप्टो इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 08 नवंबर, 2013 से 6 माह तक अर्थात 08 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xxv) ग्राम ओगनज, तालुक दसकोरी, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 नवंबर, 2013 के बाद (7वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 6 माह के लिए अर्थात 6 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(xxvi) ग्राम भोंडसी, तहसील सोहना, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 नवंबर, 2012 के बाद (7वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स असेंडेंट एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि पिछली बार बढ़ाई गई अवधि के बाद से हुई प्रगति संतोषप्रद नहीं है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड को एलओए के निरसन के लिए नोटिस जारी करने का निदेश दिया।

**(xxvii) 5वां मील पत्थर, ग्राम ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 नवंबर 2013 के बाद (7वें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली कार्पोरेशन का अनुरोध**

बोर्ड ने नोट किया कि विकासक गुड़गांव नगर निगम के साथ भूमि विवाद के कारण अनुमोदन बोर्ड द्वारा पिछली बार बढ़ाई गई अवधि के दौरान निर्माण कार्य शुरू करने में असमर्थ है। अनुमोदन बोर्ड ने हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि को भी सुना, जिसने सिफारिश की कि विकासक को पुन: विस्तार प्रदान किया जाए।

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने गुड़गांव नगर निगम के साथ लंबित भूमि विवाद के अंतिम परिणाम के अधीन 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 05 मई, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**मद संख्या 60.6 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध**

**(i) 72.37 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित अपने एसईजेड को विमुक्त कराने के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रिको) जो बोरनाडा, जोधपुर, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 72.37 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बोरनाडा, जोधपुर, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रिको) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, एसईजेड में कोई यूनिट नहीं है या उनको डिबांड किया गया है और राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है तथा यह वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या डी.12/45/2009-एसईजेड दिनांक 13 सितंबर, 2013 के माध्यम से सूचित शर्तों के अधीन है।

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि अब से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एसईजेड के आंशिक या पूर्ण विमुक्तीकरण के सभी प्रस्तावों को वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर प्रोसेस किया जाएगा :

(क) विकास आयुक्त निर्धारित प्रपत्र में अन्य बातों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि

- विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले एसईजेड के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है,
- एसईजेड में कोई यूनिट नहीं है या उनको डिबांड किया गया है,

(ख) राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, और

(ग) यह वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या डी.12/45/2009-एसईजेड दिनांक 13 सितंबर, 2013 के माध्यम से सूचित शर्तों के अधीन है।

**मद संख्या 60.7 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

**(ii) 3 दिसंबर 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड जो विलानकुरिची गांव, कोयंबटूर, तमिलनाडु में एलकॉट आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 03 दिसंबर, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(ii) 6 नवंबर, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी मंगलौर पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड जो मंगलौर, कर्नाटक में मंगलौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 06 नवंबर, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(iii) 30 सितंबर 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एंबेडेड आईटी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर के लिए मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(iv) 30 सितंबर, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अडानी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड जो मुंद्रा, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड एसईजेड द्वारा विकसित बहुत उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(v) 30 सितंबर, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में स्टर्लिंग एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(vi) 21 जुलाई, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स विगोर लेबोरेटरीज जो इंदौर, मध्य प्रदेश में इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 21 जुलाई, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(vii) 4 मार्च, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कलर चिप्स न्यू मीडिया लिमिटेड जो मधुरवाड़ा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में एपीआईआईसी आईटी एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 04 मार्च, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(viii) 6 सितंबर, 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एमटेक इलेक्ट्रानिक्स इंडिया लिमिटेड जो गांधीनगर, गुजरात में जीआईडीसी एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 08 नवंबर, 2013 से 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 08 मई, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(ix) 30 सितंबर, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एक्सएल एनर्जी लिमिटेड जो रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर के लिए मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 30 सितंबर, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

**मद संख्या 60.8 : प्लास्टिक की रिसाइकलिंग का काम करने वाली यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विविध मामले**

**(i) एसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करने वाली यूनिटों के संदर्भ में एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड से अनुरोध**
**(ii) एसईजेड में प्लास्टिक / स्क्रैप / अपशिष्ट की रिसाइकलिंग करने वाली यूनिटों के संदर्भ में एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, फाल्टा से अनुरोध**
**(iii) मैसर्स मैकलॉयड पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड जो सूरत एसईजेड की यूनिट है, के एलओपी के नवीकरण के लिए विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड का अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड को प्लास्टिक स्क्रैप या अपशिष्ट की रिसाइकलिंग करने वाली एसईजेड यूनिटों को विनियमित करने के लिए 17 सितंबर, 2013 को वाणिज्य विभाग जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों की जानकारी प्रदान की गई। अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों द्वारा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। उक्त नीति में अन्य बातों के साथ यह निर्धारित है कि एसईजेड में मौजूदा यूनिटों के एलओए की अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा एसईजेड नियमावली के नियम 178(4) के अनुसरण में नवीकृत की जाएगी और इस प्रकार नवीकरण इस नीति की शर्तों के अनुरूप होगा। तद्नुसार, केएएसईजेड [(i) से (xx)], फाल्टा एसईजेड [(xxi) से (xxvii)] और सूरत एसईजेड [(xxviii)] में स्थित मौजूदा प्लास्टिक यूनिटों के एलओए की अवधि के नवीकरण के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखे गए हैं :

(i) कच्छ पोलीमर्स
(ii) प्लास्ट ओ फाइन इंडस्ट्रीज
(iii) ऐड पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
(iv) ओसवाल पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
(v) इंपीरियल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
(vi) सनराइज इंटरनेशनल
(vii) हरीश प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
(viii) लकी स्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
(ix) मोक्ष स्टार इंटरनेशनल
(x) श्रीजी पोलीमर्स

(xi) पराशर एंटरप्राइजेज
(xii) शिवम स्क्रैप रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड
(xiii) ब्लेज इंटरनेशनल
(xiv) अंश पोलीमर्स लिमिटेड
(xv) सीजे प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
(xvi) सत्गुरु पोलीफैब प्राइवेट लिमिटेड
(xvii) कांडला पोलीप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(xviii) पोलीरेक प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
(xix) न्यू प्लास्टोमर्स इंडिया लिमिटेड
(xx) मैसर्स रिन्यू प्लास्टिक्स
(xxi) प्रिसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
(xxii) बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड (अब मैसर्स कल्पना इंडस्ट्रीज लिमिटेड)
(xxiii) अमरनाथ एनवायरोप्लास्ट लिमिटेड
(xxiv) आल्पस ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
(xxv) स्लास्टोलीन पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
(xxvi) सुखी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(xxvii) नैरा एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड
(xxviii) मैसर्स मैकलायड पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड

**विचार विमर्श के बाद, एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग का काम करने वाली उपर्युक्त 28 यूनिटों के एलओपी के 5 साल की अवधि के लिए नवीकरण के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया :**

(i) ऐसा अनुमोदन प्रदान करते समय वाणिज्य विभाग के 17 सितंबर 2013 के नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से सभी निर्धारित शर्तों को लागू किया जाएगा।
(ii) विशेष रूप से उपर्युक्त दिशानिर्देशों के पैरा 10 के अनुसार, एनएफई की अपनी बाध्यता को पूरा करने के अलावा यूनिटों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा है कि यूनिट के वार्षिक टर्नओवर के निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत का देश के बाहर भौतिक रूप से निर्यात किया जाएगा। निर्दिष्ट अवधियों के अंत में निर्धारित न्यूनतम भौतिक निर्यात के स्तर इस प्रकार हैं :

| **अवधि** | **न्यूनतम भौतिक निर्यात की बाध्यता** |
|---|---|
| दूसरे वर्ष के अंत में | कुल वार्षिक टर्नओवर का कम से कम 40 प्रतिशत |
| चौथे वर्ष के अंत में | कुल वार्षिक टर्नओवर का कम से कम 80 प्रतिशत |
| पांचवें वर्ष के अंत में | कुल वार्षिक टर्नओवर का 100 प्रतिशत |

5वें वर्ष के बाद, यूनिट से भौतिक रूप से अपने वार्षिक टर्नओवर का 100 प्रतिशत निर्यात जारी रखने की अपेक्षा होगी।

दूसरे, चौथे और पांचवें वर्ष के अंत में न्यूनतम भौतिक निर्यात की उपर्युक्त निर्धारित बाध्यता के किसी उल्लंघन पर दंड लगाया जा सकेगा और यूनिट का एलओपी निरस्त किया जा सकेगा।

(iii) एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) (ख) के अनुसार, यूनिट का प्रचालन शुरू हो जाने के बाद आयात की औसत वार्षिक मात्रा से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट एवं स्क्रैप की अनुमोदित मात्रा में वृद्धि के लिए कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया जाएगा।
(iv) प्लास्टिक की रिसाइकलिंग का काम करने तक यूनिट के अधिकृत प्रचालनों को सीमित किया जा सकता है।

संबंधित विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी किए गए एलओपी उपर्युक्त निर्णय का कड़ाई से पालन करने वाले हैं और मौजूदा एलओपी में आवश्यक संशोधन करने के बाद मौजूदा यूनिटों के एलओपी का नवीकरण किया जाएगा ताकि सुनिश्चित हो कि सभी उपर्युक्त शर्तों को विधिवत रूप से शामिल किया गया है। आवश्यक होने पर, विकास आयुक्त नीति के प्रयोग में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में वाणिज्य विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे।

**मद संख्या 60.9 : फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइकलिंग का काम करने वाली यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विविध मामले**

**एसईजेड में फटे पुराने तथा प्रयुक्त कपड़ों का व्यवसाय करने वाली यूनिटों के संदर्भ में एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड से अनुरोध**

अनुमोदन बोर्ड को फटे पुराने तथा प्रयुक्त कपड़ों का व्यवसाय करने वाली एसईजेड यूनिटों को विनियमित करने के लिए 17 सितंबर, 2013 को वाणिज्य विभाग जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों की जानकारी प्रदान की गई। अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों द्वारा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। उक्त नीति में अन्य बातों के साथ यह निर्धारित है कि एसईजेड में मौजूदा यूनिटों के एलओए की अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा एसईजेड नियमावली के नियम 178(4) के अनुसरण में नवीकृत की जाएगी और इस प्रकार नवीकरण इस नीति की शर्तों के अनुरूप होगा। तदनुसार, फटे पुराने तथा प्रयुक्त कपड़ों का व्यवसाय करने वाली केएएसईजेड में स्थित मौजूदा यूनिटों के एलओए की अवधि के नवीकरण के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ रखे गए हैं :

(i) राघवानी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
(ii) टेक्सूल वेस्टसेवर्स
(iii) फ्लैक्स अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड
(iv) कैनम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
(v) मारूती एक्सपोर्ट्स
(vi) अनीता एक्सपोर्ट्स
(vii) बाबू इंटरनेशनल

(viii) स्टार साइन क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड
(ix) ओम सिद्ध विनायक इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
(x) जिंदल फाइबर्स
(xi) ट्यूलिप एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड
(xii) यूएस क्लोथिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(xiii) सफारी फाइन क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड
(xiv) सीजे प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड

विचार विमर्श के बाद, एसईजेड नियमावली के नियम 18 (4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड में फटे पुराने तथा प्रयुक्त कपड़ों का व्यवसाय करने वाली उपर्युक्त 14 यूनिटों के एलओपी के 5 साल की अवधि के लिए नवीकरण के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया :

(i) ऐसा अनुमोदन प्रदान करते समय वाणिज्य विभाग के 17 सितंबर 2013 के नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से सभी निर्धारित शर्तों को लागू किया जाएगा।

(ii) विशेष रूप से उपर्युक्त दिशानिर्देशों के पैरा 10 के अनुसार, एनएफई की अपनी बाध्यता को पूरा करने के अलावा यूनिटों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा है कि यूनिट के वार्षिक टर्नओवर के निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत का देश के बाहर भौतिक रूप से निर्यात किया जाएगा। निर्दिष्ट अवधियों के अंत में निर्धारित न्यूनतम भौतिक निर्यात के स्तर इस प्रकार हैं :

| अवधि | न्यूनतम भौतिक निर्यात की बाध्यता |
|---|---|
| दूसरे वर्ष के अंत में | कुल वार्षिक टर्नओवर का कम से कम 40 प्रतिशत |
| चौथे वर्ष के अंत में | कुल वार्षिक टर्नओवर का कम से कम 80 प्रतिशत |
| पांचवें वर्ष के अंत में | कुल वार्षिक टर्नओवर का 100 प्रतिशत |

5वें वर्ष के बाद, यूनिट से भौतिक रूप से अपने वार्षिक टर्नओवर का 100 प्रतिशत निर्यात जारी रखने की अपेक्षा होगी।

दूसरे, चौथे और पांचवें वर्ष के अंत में न्यूनतम भौतिक निर्यात की उपर्युक्त निर्धारित बाध्यता के किसी उल्लंघन पर दंड लगाया जा सकेगा और यूनिट का एलओपी निरस्त किया जा सकेगा।

(iii) नियम 18(4)(ग) के अनुसार, यूनिट के अधिकृत प्रचालनों को गारमेंट या प्रयुक्त कपड़ों या गौण टेक्सटाइल सामग्री एवं अन्य रिसाइकलेबल टेक्सटाइल सामग्री की क्लिपिंग या रैग या औद्योगिक वाइपर या शॉडी वुल या यार्न या कंबल या शाल की रिप्रोसेसिंग के व्यवसाय तक सीमित किया जा सकता है।

संबंधित विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी किए गए एलओपी उपर्युक्त निर्णय का कड़ाई से पालन करने वाले हैं और मौजूदा एलओपी में आवश्यक संशोधन करने के बाद मौजूदा यूनिटों के एलओपी का नवीकरण किया जाएगा ताकि सुनिश्चित हो कि सभी उपर्युक्त शर्तों को विधिवत रूप से शामिल किया गया है। आवश्यक होने पर, विकास आयुक्त नीति के प्रयोग में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में वाणिज्य विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे।

**मद संख्या 60.10: एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के विविध मामलों की पुष्टि के लिए मामले**

**(i) केसुर्डे, तालुक खंडाला, जिला सतारा में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 4 अप्रैल 2012 के बाद चौथी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 26 सितंबर, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के संबंध में वाणिज्य विभाग के निर्णय की पुष्टि की।

**मद संख्या 60.11 : विविध मामले**

**(i)** अपने एसईजेड का सेक्टर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर से बदलकर आईटी / आईटीईएस करने के लिए मैसर्स प्लेटिनम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो नवालूर, चेन्नई, तमिलनाडु में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने क्षेत्र को "हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर" से बदलकर "आईटी / आईटीईएस" करने के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

**(ii) एसईजेड का सेक्टर 'विद्युत' से बदलकर 'इंजीनियरिंग' करने के लिए मैसर्स ओपीजीएस पावर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड जो भद्रेश्वर, मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विद्युत के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध**

बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने सेक्टर को विद्युत से बदलकर इंजीनियरिंग करने का अनुरोध किया है जिसका विकास आयुक्त, केएसईजेड द्वारा स्वागत किया गया। बोर्ड को सूचित किया गया कि इंजीनियरिंग एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, एसईजेड में निर्माणाधीन पावर प्लांट एसईजेड यूनिटों को विद्युत की आपूर्ति के लिए कैप्टिव प्रकृति का होगा। विकासक ने यह वचन दिया था कि एसईजेड की अधिसूचना से पूर्व किए गए निवेश पर कोई ड्यूटी लाभ नहीं लिया जाएगा। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने एसईजेड का सेक्टर 'विद्युत' से बदलकर 'इंजीनियरिंग' करने के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और यह कि पावर प्लांट केवल कैप्टिव प्रकृति का होगा, पावर प्लांट गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा और एसईजेड की अधिसूचना से पूर्व किए गए निवेश के लिए कोई ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

**(iii) अतिरिक्त मदों के विनिर्माण के लिए मैसर्स एमएमजी इंपेक्स जो एमईपीजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट ने निम्नलिखित मदों के विनिर्माण के लिए नए एलओपी के लिए आवेदन किया है :

(i) सैंडलवुड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट
(ii) सैंडलवुड मशीन मेड प्रोडक्ट
(iii) सैंडलवुड चिप्स (प्रति नग 50 ग्राम तक)
(iv) सैंडलवुड पाउडर / डस्ट
(v) सैंडलवुड फ्लेक / स्क्रैप / वेस्ट

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

**(iv) मैसर्स एलएंडटी शिप बिल्डिंग लिमिटेड जो कट्टूपल्ली, तमिलनाडु में मैसर्स एलएंडटी शिप बिल्डिंग लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव जिसमें आयात के लिए प्रतिबंधित मदों की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है**

बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट ने पोत निर्माण की गतिविधियों में प्रयोग के लिए प्रतिबंधित मदों की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने निर्णय लिया कि वाणिज्य विभाग द्वारा रक्षा मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय की राय प्राप्त की जाए और इस प्रकार प्राप्त विचारों को ध्यान में रखने के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले को प्रोसेस किया जाए।

**(v) मैसर्स लार्सेन एंड टुब्रो लिमिटेड जो कट्टूपल्ली, तमिलनाडु में मैसर्स एलएंडटी शिप बिल्डिंग लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव जिसमें आयात के लिए प्रतिबंधित मदों की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है**

बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट ने पोत निर्माण की गतिविधियों में प्रयोग के लिए प्रतिबंधित मदों की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने निर्णय लिया कि वाणिज्य विभाग द्वारा रक्षा मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय की राय प्राप्त की जाए और इस प्रकार प्राप्त विचारों को ध्यान में रखने के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले को प्रोसेस किया जाए।

**(vi) रक्षा उत्पादों को शामिल करने के लिए विनिर्माण की उनकी गतिविधि की ब्राड बैंडिंग के अनुमोदन के लिए मैसर्स टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड जो अधिबाटला गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एपीआईआईसी लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव**

बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट ने रक्षा से संबंधित अतिरिक्त उत्पादों के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने निर्णय लिया कि वाणिज्य विभाग द्वारा रक्षा मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय की राय प्राप्त की जाए और इस प्रकार प्राप्त विचारों को ध्यान में रखने के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले को प्रोसेस किया जाए।

**(vii) अपनी एसईजेड यूनिट को मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड, चेन्नई द्वारा विकसित एसईजेड में रिलोकेट करने के लिए मैसर्स फिडेलिटी बिजनेस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, से अनुरोध**

**(viii) अपनी एसईजेड यूनिट को ग्राम टिकरी, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स यूनिट रियलिटी एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित एसईजेड ने ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स इवैलूसर्व एसईजेड (गुड़गांव) प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स गुड़गांव इनफो स्पेस एसईजेड लिमिटेड द्वारा सेक्टर 21, ग्राम डूंडाहेड़ा, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, से अनुरोध**

**(ix) अपनी एसईजेड यूनिट को मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड, चेन्नई द्वारा विकसित एसईजेड में रिलोकेट करने के लिए मैसर्स ट्रेंचैंट ट्रेडिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ इनफोसिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, से प्रस्ताव**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन यूनिट के अंतरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि :

(क) यूनिट जिसने कुछ अवधि के लिए आयकर अधिनियम के तहत कर प्रोत्साहन प्राप्त किया था, स्थानांतरण के बाद आयकर अधिनियम के तहत यथाअनुमत केवल शेष अवधि के लिए ऐसे प्रोत्साहनों के लिए पात्र होगी।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को यूनिट के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(ग) यूनिट ऐसी परिसंपत्तियों पर प्राप्त किए गए कर प्रोत्साहनों को लौटाने के लिए जिम्मेदार होगी जो यूनिट के नए स्थान पर शिफ्ट नहीं की जाएंगी।

**(x) मैसर्स सेसा गोवा लिमिटेड के साथ अपने समामेलन के अनुमोदन तथा एसईजेड का नाम बदलकर मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड जो ग्राम वीरापंडियापुरम, तूतीकोरीन, तमिलनाडु में कॉपर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, से अनुरोध**

बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन मैसर्स सेसा गोवा लिमिटेड के साथ मैसर्स स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के समामेलन के अनुसरण में विकासक का नाम बदलकर मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं;
(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेगा जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।
(vii) आवदेक अपनी एसईजेड यूनिट से भिन्न अपने विकासक कार्य के लिए अलग लेखा बही रखेगा।

**(xi) मैसर्स सेसा गोवा लिमिटेड के साथ अपने समामेलन के अनुमोदन तथा एसईजेड का नाम बदलकर मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम एसईजेड (जो सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड की यूनिट है) करने के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड जो झर्सूगुडा, उड़ीसा में एल्युमिनियम के निर्माण एवं निर्यात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, से अनुरोध**

बोर्ड ने नोट किया कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मैसर्स सेसा गोवा लिमिटेड ग्रुप के साथ मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम एसईजेड (सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड की यूनिट) का विलय हो गया है तथा नाम बदलकर मैसर्स सेसा स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड हो गया है। तथापि मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम एसईजेड ने अपने विकासक एवं यूनिट स्टेटस दोनों के लिए सेसा का नाम मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम एसईजेड बनाए रखने का अनुरोध किया है।

चार विमर्श के बाद बोर्ड ने प्रस्ताव आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा विकासक एवं यूनिट स्टेटस दोनों संस्थाओं के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम एसईजेड के रूप में एसईजेड का नाम बनाए रखने के मुद्दे पर राय लेने हेतु मामले को विधाई कार्य विभाग के पास भेजने का निदेश दिया।

**(xii) मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड, चेन्नई, जो एर्नाकुलम, केरल में मैसर्स इनफो पार्क एसईजेड लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र एसईजेड का सह विकासक है, के डिमर्जर के फलस्वरूप मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड और मैसर्स एलएंडटी तेजोमाया लिमिटेड के संदर्भ में अवंसरचना गतिविधियों के साथ अनुमोदित सह विकासक के स्टेटस के लिए प्रस्ताव**

बोर्ड ने नोट किया है कि उपर्युक्त दोनों सह विकासकों ने विकासक के साथ अलग से पट्टा करार किया है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस शर्त के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सह विकासक संस्था स्वतंत्र रूप से निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगी :

(i) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेंगे जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) आवदेक अपनी एसईजेड यूनिट से भिन्न अपने सह विकासक कार्य के लिए अलग लेखा बही रखेंगे।

**मद संख्या 60.12 : एसईजेड में उत्पादित की जाने वाली मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन**

एसईजेड तथा ईओयू के लिए रक्षा से संबंधित मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का विषय पहले औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा देखा जा रहा था। तथापि, अब यह विषय वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। वाणिज्य विभाग में मामले की जांच की गई तथा ऐसे सभी प्रस्तावों / अनुरोधों को विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

**(i) सी4आई सिस्टम, इलेक्ट्रो आप्टिकल सिस्टम, अंडर वाटर सिस्टम तथा एवियोनिक्स के विनिर्माण और विकास के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए मैसर्स पीपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का आवेदन**

बोर्ड ने नोट किया कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। तथापि, वाणिज्य विभाग ने इस संबंध कुछ स्पष्टीकरण मांगने का प्रस्ताव किया। विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने तय किया कि वाणिज्य विभाग गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है और उसकी जांच के बाद फाइल पर मामले का निर्धारण कर सकता है।

**(ii) रक्षा उत्पादों जैसे कि रेडियो तथा उपग्रह संचार उपकरण तथा ऑप्ट्रोनिक्स एवं ऑप्टो इलेक्ट्रानिक सिस्टम आदि के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए मैसर्स सिरमा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सभी संबंधित विभागों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं तथा कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने रक्षा मंत्रालय / गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन केवल 500 की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता के साथ रेडियो एवं उपग्रह संचार उपकरण तथा ऑप्ट्रोनिक्स तथा ऑप्टो इलेक्ट्रानिक सिस्टम के निर्माण के लिए मैसर्स सिरमा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि वाणिज्य विभाग फाइल पर मामले की अग्रेतर प्रोसेसिंग कर सकता है।

**(iii) रडार, सोनार तथा इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम की डिजाइन, विकास एवं निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए मैसर्स डाटा पैटर्न, चेन्नई का आवेदन**

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सभी संबंधित विभागों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं तथा कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने रक्षा मंत्रालय / गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन केवल 45 की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता के साथ रडार एवं सोनार सिस्टम की डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण के लिए मैसर्स डाटा पैटर्न, चेन्नई को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि वाणिज्य विभाग फाइल पर मामले की अग्रेतर प्रोसेसिंग कर सकता है।

**पूरक एजेंडा पर निर्णय**

**मद संख्या 60.13 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध**

**(i) 13.5426 के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ इनफ्रा लिमिटेड (पूर्व में पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड) जो सहस्त्र धारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध**

बोर्ड ने नोट किया कि उत्तराखंड सरकार ने विकासक के विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर अपनी अनापत्ति प्रदान की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 13.5426 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हस्त्र धारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ इनफ्रा लिमिटेड (पूर्व में पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, एसईजेड में कोई यूनिट नहीं है या उनको डिबांड किया गया है और राज्य सरकार को

विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है तथा यह वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या डी.12/45/2009-एसईजेड दिनांक 13 सितंबर, 2013 के माध्यम से सूचित शर्तों के अधीन है।

**(ii) 25.7177 के क्षेत्रफल में अपने अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मयार इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम राखा और रानी का सिंगोला, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है का विकासक, से अनुरोध**

बोर्ड ने नोट किया कि हरियाणा सरकार ने विकासक के विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर अपनी अनापत्ति प्रदान की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 25.7177 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम राखा और रानी का सिंगोला, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मयार इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। यह अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है कि अन्य बातों के साथ विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत कोई कर / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है या प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है, एसईजेड में कोई यूनिट नहीं है या उनको डिबांड किया गया है और राज्य सरकार को विमुक्तीकरण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है तथा यह वाणिज्य विभाग के पत्र संख्या डी.12/45/2009-एसईजेड दिनांक 13 सितंबर, 2013 के माध्यम से सूचित शर्तों के अधीन है।

**मद संख्या 60.14 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

**(i) ग्राम ओगनाज, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 19 दिसंबर, 2013 के बाद (7वें वर्ष के बाद) एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गणेश इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 6 माह के लिए अर्थात 19 जून, 2014 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

**मद संख्या 60.15 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

**(iv) 15 दिसंबर, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सन फर्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो भड़ूच, गुजरात में दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 15 दिसंबर, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

**(ii) 2 दिसंबर, 2013 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टोरेंट फर्मास्युटिकल्स (दाहेज) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की यूनिट है, का अनुरोध**

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए अर्थात 02 दिसंबर, 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई।

**मद संख्या 60.16 : प्लास्टिक की रिसाइकलिंग का काम करने वाली यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाना**

**(i) मैसर्स रिन्यू प्लास्टिक्स जो केएएसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करने वाली यूनिट है, के संदर्भ में एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड से अनुरोध**

**कृपया मद संख्या 60.8(i) में लिया गया निर्णय देखें।**

**मद संख्या 60.17 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील**

**(i) विकास आयुक्त, केएएसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स बायोमेडिकल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स जायडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित फर्मास्युटिकल एसईजेड की यूनिट है, की अपील**

अपीलकर्ता को सुनने तथा इसके बाद विचार विमर्श करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि मामले को वापस विकास आयुक्त, केएएसईजेड के पास भेजा जाए तथा यह निदेश दिया गया कि यूनिट एवं विकासक को सुनवाई का अवसर दिया जाए तथा 30 दिन के अंदर सकारण आदेश पारित किया जाए।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

******

**अनुबंध 1**

वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में **8** नवंबर, **2013** को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1. श्री एस आर राव, अध्यक्ष, अनुमोदन बोर्ड और वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग
2. श्री ए के पुजारी, डीजीएफटी, विदेश व्यापार महानिदेशक
3. श्री राम तीरथ, डीजीईपी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
4. डा. एल बी सिंघल, अपर डीजीएफटी, विदेश व्यापार महानिदेशक
5. सुश्री दीपशिखा शर्मा, उप सचिव (आईटीए-1), सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
6. श्री जितेन्द्र कुमार, अपर निदेशक, डीजीईपी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
7. श्री मनोज कुमार अरोरा, अपर डीजीईपी, सीबीईसी, राजस्व विभाग।
8. डॉ टी प्रधान, संयुक्त रेजिडेंट कमिश्नर, ओडिशा सरकार
9. श्रीमती नंदिनी अवाडे, सहायक निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार
10. श्री अशोक सांगवान, निदेशक उद्योग, हरियाणा सरकार
11. श्री ई वी नरसिम्हा रेड्डी, कार्यकारी निदेशक, एपीआईआईसी, हैदराबाद
12. श्री आनंद कृष्णा, पर्यावरण और वन मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली
13. श्री एस के छिकारा, अवर सचिव, गृह मंत्रालय
14. श्री पी के गुप्ता, डीजीएम (एलएस-1), गृह मंत्रालय
15. श्री बी भट्टाचार्य, एसआईओ, डीजीईपी, राजस्व विभाग
16. श्री गुरप्रीत सिंह, अनुभाग अधिकारी, उद्योग विभाग, पंजाब सरकार
17. डॉ एस के साहू, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय, निर्माण भवन
18. श्री जे सैनी, महाप्रबंधक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पंजाब सरकार
19. श्री ए के गुप्ता मुख्य महाप्रबंधक, रीको, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान
20. श्री आर डी मीणा, अनुसंधान सहायक, टीसीपीओ, शहरी विकास मंत्रालय
21. श्री ए के धाम, संपर्क अधिकारी, आईडीसीओ, नई दिल्ली
22. श्री जॉर्जकुट्टी चेरियन, सहायक संपर्क कार्यालय, रेजिडेट आयुक्त का कार्यालय, केरल सरकार

**विकास आयुक्तों की सूची**

23. श्री संजीव नंदवानी, विकास आयुक्त, फाल्टा, कोलकाता
24. श्री महेंद्र जैन, विकास आयुक्त, एनएमएसईजेड और केएसएसईजेड
25. श्री जयंत मिश्रा, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड, उत्तर प्रदेश
26. श्री एन पी एस मोंगा, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड
27. डॉ सेफना एएन, विकास आयुक्त, कोचीन एसईजेड
28. श्री विजय एन शेवाले, विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड, सूरत
29. श्री एस किशोर, विकास आयुक्त, एपीईजेड
30. श्री के एल शर्मा, विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड, गुजरात

31. श्रीमती श्रीमती लता शुक्ला, विकास आयुक्त, मुंद्रा एसईजेड
32. श्री वेद प्रकाश, विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड
33. श्री मनु टैंटीवाल, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड
34. डॉ एस स्वर्ण, संयुक्त विकास आयुक्त, एमईपीजेड
35. श्री ए के राठौर, संयुक्त विकास आयुक्त, आईएसईजेड, इंदौर, मध्य प्रदेश

**वाणिज्य विभाग के प्रतिभागियों की सूची**

36. श्री मधुसूदन प्रसाद, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग
37. श्री राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
38. श्री संजीत सिंह, निदेशक और सदस्य सचिव, वाणिज्य विभाग
39. श्री एस एस कुमार, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
40. श्री कविराज साबर, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
41. श्री विनोद कुमार, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग
42. श्री आर के दत्ता, अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य विभाग